



2026:AHC: 129746

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21152/2026

शारिक उर्फ बुल्ली

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: अंकित श्रीवास्तव, चौधरी दिल निसार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

1. चौधरी दिल निसार के संक्षिप्त रूप से उपस्थित अधिवक्ता श्री वीरेश कुमार यादव और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. श्री श्याम नारायण को सुना गया।
2. बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना नकुड़, जिला सहारनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 08 वर्ष 2026, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/21/29 के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. एफ.आई.आर. के आरोपों के अनुसार, यह आरोप है कि 03.01.2026 को, जब सूचनाकर्ता एस.आई. नीरज कुमार अपनी पुलिस पार्टी के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इयूटी पर थे, तब प्राप्त सूचना पर उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो घाटमपुर गाँव की ओर से आ रहा था, और अन्य सह-अभियुक्त अमजद के साथ गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 120 ग्राम स्मैक जैसी सामग्री बरामद की गई। उकसाने पर अन्य सह-अभियुक्तों जैसे शारिक उर्फ लल्लू, शारिक उर्फ बुल्ली, अमजद ने स्वीकार किया कि वे स्मैक की तस्करी का काम करते हैं। सह-अभियुक्त अमजद से प्राप्त सूचना पर वर्तमान अभियुक्त-आवेदक शारिक उर्फ बुल्ली को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त-आवेदक शारिक उर्फ बुल्ली को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि सह-अभियुक्त अमजद के इकबालिया बयान पर उसका नाम प्रकाश में आया है। अन्य सह-अभियुक्त अमजद को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 4106 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध दो आपराधिक इतिहास दिखाए गए हैं, जिन्हें उसने जमानत आवेदन के प्रस्तर 16 में विधिवत स्पष्ट किया है। उपरोक्त आधार पर, यह प्रार्थना की गई है कि अभियुक्त-आवेदक भी समरूपता के आधार पर और एफ.आई.आर. में इंगित उसकी भूमिका के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि अभियुक्त अमजद, जिसे मौके पर गिरफ्तार किया गया था और जिसके कब्जे से पुलिस द्वारा 120 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी, उसे इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्होंने हालांकि प्रस्तुत किया कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभियुक्त-आवेदक शारिक उर्फ बुल्ली उस गैंग का सदस्य है, जिसका सरगना अमजद है और गैंग के साथ सभी अभियुक्त लोगों के बीच तस्करी का काम करते हैं।

5. पक्षकारों के दोनों विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों और प्रति-तर्कों पर विस्तार से विचार करने के बाद, एफ.आई.आर. के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त-आवेदक को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं की गई है। केवल यह कहा गया है कि वर्तमान अभियुक्त-आवेदक स्मैक का आपूर्तिकर्ता है। हालांकि, यह भी एक दोषपूर्ण तथ्य है कि अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध, रासायनिक परीक्षण के बारे में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की कोई रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाती हो कि बरामद स्मैक वास्तव में स्मैक है या निषिद्ध सामग्री है। पुलिस अब तक आरोप-पत्र दाखिल करने में असमर्थ रही है। अभियोजन द्वारा इंगित आपराधिक इतिहास को अभियुक्त-आवेदक ने जमानत आवेदन के प्रस्तर 16 में विधिवत स्पष्ट किया है।

6. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, दंड की कठोरता, वाद में सामने आए साक्ष्य, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि आवेदक किसी गैंग का सदस्य या सरगना है, इस तथ्य को कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पर विचार करते हुए, लेकिन गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक शारिक उर्फ बुल्ली को मु.अ.सं. 08 वर्ष 2026, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/21/29, थाना नकुड़ जिला सहारनपुर के संबंध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा। iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा जिसका वह अभियुक्त है, या जिस अपराध को कारित करने के संबंध में उसे संदिग्ध माना जाता है।
- v) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्य प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी)

30 जून, 2026

एन.एस.सी.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”